न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

———————

अपील संख्या :– 19/2005 अनतर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. अमरसिंह पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

2. छाजूराम पुत्र हरीसिंह जाति अहीर

3. उमराव पुत्र देवकरण जाति अहीर

4. बिहारी पुत्र देवकरण जाति अहीर

5. सरदारा पुत्र देवकरण जाति अहीर निवासी ग्राम गढी तह0 मुण्डावर जिला अलवर ।

:——— प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1. बस्तीराम पुत्र बीरबल जाति अहीर

2. धर्मपाल पुत्र बीरबल जाति अहीर

निवासी ग्राम गढी तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:——— वादीगण असल रेस्पो0

3. शेरसिंह पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

4. तहसीलदार भूमि धारक, मुण्डावर

:—— प्रतिवादी तरतीबी रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 26.2.2005

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री विनोद कुमार यादव

2. वकील रेस्पो0 :– सर्व श्री रामसिंह यादव,ओमप्रकाश

निर्णय दिनांक 16.3.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा वाद संख्या 170/2003 में पारित निर्णय दिनांक 26.2.2005 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादीगण का वाद प्रारम्भिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय वाद पत्र अन्तर्गतस धारा 53 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 689 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर में वादीगण 1/2 भाग के खातेदार है । सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार हैं ,परन्तु प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैंस । शामलात में खेती करना मुश्किल हो रहा है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जावे । विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा वाद पत्र प्रारम्भिक तौर पर डिक्री किया है,जिसके खिलाफ यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । हमको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । हम पर प्रोपर तामील नहीं कराई गई । हमारी गलत तौर पर इकतरफा की गई है । हम विवादित भूमि के सह खातेदार है । कानूनन हमको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये । तहत न्यायालय ने प्रकरण की मेरिटस पर सही तौर पर विचार नहीं किया है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि इनकी प्रोपर तामील कराई गई है । परन्तु ये जानबूझकर हाजिर नहीं हुये । यह अपील प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पारित की गई है । अगर इनका किसी प्रकार का कोई ऐतराज है तो ये कुर्रे कायमी के बाद तहत न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

में पेश कर सकते हैं । इनको अपील पेश करने का कोई राईट नहीं है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने मुख्य रूप से यही आपत्ति उठाई है कि उनकी प्रोपर तामील नहीं हुई है, उनको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में हमने तहत पत्रावली में संलग्न सम्मन/नोटिसों का अवलोकन किया । शेरसिंह के तामील नोटिस पर तामील कुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि ग्राम में मौजूद मिला, इतला करने से इन्कार किया, प्रति उसके उपर डाली गई । इसी प्रकार की रिपोर्ट सरदारा, उमराव, छाजूराम के सम्मन नोटिसों पर भी की गई है । अगर प्रतिवादी सम्मन लेने से इन्कार करता है तो तामील कुनिन्दा का यह दायित्व हो जाता है कि उस नोटिस को प्रतिवादी के मकान पर चस्पा करे और दो गवाहों के हस्ताक्षर पूर्ण पते के साथ करावें, जैसा कि सिविल प्रकिया संहिता में प्रतिपादित किया गया है । परन्तु तामील कुनिन्दा ने ऐसा नहीं किया । इन नोटिसों पर जिन गवाहों किरोडी एवं कैलाश के हस्ताक्षर कराये गये हैं, उनक`पते भी नोटिस पर अंकित नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि तामील कुनिन्दा ने किसी एक जगह बैठकर सम्पूर्ण कार्यवाही कर दी । वास्तविक रूप से कोई तामील नहीं कराई गई । इस संदेह को ओर भी बल इस तथ्य से मिलता है कि तहसीलदार की जो तामील कराई गई है, उस पर गवाह के तौर पर किरोडी एवं कैलाश का नाम अंकित कर दिया गया, फिर बाद में इन नामों को काट दिया गया । वरना तहसीलदार की तामील पर गवाह के हस्ताक्षर कराने की कहां आवश्यकता पड गई । तामील कुनिन्दा को बाद में ध्यान आया और गवाहों के नाम काट दिये । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपीलांट प्रतिवादी की प्रोपर तामील होना नहीं पाया जाता है । लिहाजा उनकी सुनवाई हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि सभी पक्षों की मौजूदगी में कुर्रे कायम करते हुये अंतिम डिक्री पारित की जावे । उभयपक्ष तहत न्यायालय में दिनांक 17.4.2017 को उपस्थित हों ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner